

**उप-पंजीयक कार्यालय, निम्बी जोधां**  
तहसील लाडनूं, जिला नागौर, राजस्थान

जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 04.10.2012 में लिये गये निर्णय व जिला कलेक्टर (जिला उप-पंजीयक) के पत्रांक /पंजीयन/2009/3485-3540 दिनांक 04.10.2012 के निर्देशानुसार डी.एल.सी. तैयार कर दिनांक 05.10.2012 से लागू की गई।  
डी.एल.सी. दिनांक 05.10.2012 से .....

(अ) कृषि भूमि

(दरें प्रति बीघा में)

| क्र. सं. | नाम ग्राम    | सिंचित |         | असिंचित |         |
|----------|--------------|--------|---------|---------|---------|
|          |              | प्रथम  | द्वितीय | प्रथम   | द्वितीय |
| 1        | निम्बी जोधां | 53,500 | 44,500  | 44,500  | 35,500  |
| 2        | चन्द्राई     | 35,500 | 28,500  | 16,000  | 13,500  |
| 3        | मालगांव      | ---    | ---     | 19,000  | 16,000  |
| 4        | सिकराली      | ---    | ---     | 21,500  | 19,000  |
| 5        | गेनाणा       | 54,000 | 40,000  | 19,000  | 16,000  |
| 6        | बल्दू        | 53,500 | 41,000  | 24,000  | 21,500  |
| 7        | खोखरी        | 49,000 | 36,500  | 19,000  | 13,500  |
| 8        | गुणपालिया    | ---    | ---     | 36,500  | 18,000  |
| 9        | शिमला        | ---    | ---     | 19,000  | 16,000  |
| 10       | रताऊ         | 54,000 | 40,000  | 19,000  | 16,000  |
| 11       | सिलनवाद      | ---    | ---     | 17,000  | 14,500  |
| 12       | खंगार        | 54,000 | 40,000  | 19,000  | 16,000  |
| 13       | खामियाद      | ---    | ---     | 19,000  | 16,000  |
| 14       | नंदवाण       | ---    | ---     | 19,000  | 16,000  |
| 15       | तितरी        | ---    | ---     | 19,000  | 16,000  |
| 16       | सींवा        | ---    | ---     | 19,000  | 16,000  |
| 17       | धुडिला       | ---    | ---     | 19,000  | 16,000  |
| 18       | भरनावां      | 38,500 | 31,000  | 19,000  | 16,000  |
| 19       | हुडास        | 34,500 | 28,500  | 19,000  | 16,000  |
| 20       | झरडिया       | 35,500 | 28,500  | 19,000  | 16,000  |
| 21       | टोकी         | ---    | ---     | 19,000  | 16,000  |
| 22       | ढिंगसरी      | ---    | ---     | 19,000  | 16,000  |
| 23       | रोजा         | ---    | ---     | 16,000  | 13,500  |
| 24       | साण्डास      | ---    | ---     | 19,000  | 16,000  |
| 25       | तिपनी        | ---    | ---     | 17,000  | 14,500  |
| 26       | ओडिंट        | 40,000 | 26,500  | 26,500  | 21,500  |
| 27       | चुण्डासर     | 36,500 | 24,000  | 21,500  | 19,000  |
| 28       | मणू          | 36,500 | 24,000  | 19,000  | 16,000  |
| 29       | हिरावती      | 36,500 | 24,000  | 19,000  | 16,000  |
| 30       | लुकास        | 40,000 | 26,000  | 19,000  | 16,000  |

**नोट :-**

1. प्रथम श्रेणी से तात्पर्य उन भूमियों से है जो सडक पर स्थित है।
2. जो भूमियां राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं मेगा हाईवे पर स्थित है, उनमें 100 मीटर तक की परिधि तक कृषि भूमि की प्रचलित दर की तीन गुणा दरें देय होगी तथा 100 मीटर से 500 मीटर की परिधि तक कृषि भूमि की प्रचलित दर की दो गुणा दरें देय होगी।
3. औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि की दरें प्रथम रेणी की 46 रूपये और द्वितीय श्रेणी की 41 रूपये प्रति वर्ग मीटर देय होगी।
4. आबादी के पास स्थित खातेदारी की भूमि पर पांच गुणा प्रभारित किया जायेगा। (आबादी का तात्पर्य यह है कि जहां तक आबादी बसी हुई है चाहे भूमि आबादी की हो या रेवन्यू की।)
5. 1,000 वर्ग मीटर तक की भूमि को आवासीय माना जायेगा, इससे अधिक 02 (दो) बीघा तक की भूमि पर उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर का तीन गुणा प्रभारित किया जायेगा।
6. खनन प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गई या आबण्टित की गई भूमि की दरें कृषि भूमि की दरों से दो गुणा देय होगी।

अनुमोदित

Sd- 4/10/12

जिला पंजीयक / कलेक्टर

sd-

उप-पंजीयक, लाडनूं

## (ब) आबादी भूमि

(दरें प्रति वर्ग फुट में)

| क्र. सं. | नाम ग्राम                 | आवासीय |         | वाणिज्यिक |         |
|----------|---------------------------|--------|---------|-----------|---------|
|          |                           | प्रथम  | द्वितीय | प्रथम     | द्वितीय |
| 1        | निम्बी जोधां वार्ड नं. 01 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 2        | निम्बी जोधां वार्ड नं. 02 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 3        | निम्बी जोधां वार्ड नं. 03 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 4        | निम्बी जोधां वार्ड नं. 04 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 5        | निम्बी जोधां वार्ड नं. 05 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 6        | निम्बी जोधां वार्ड नं. 06 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 7        | निम्बी जोधां वार्ड नं. 07 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 8        | निम्बी जोधां वार्ड नं. 08 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 9        | निम्बी जोधां वार्ड नं. 09 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 10       | निम्बी जोधां वार्ड नं. 10 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 11       | निम्बी जोधां वार्ड नं. 11 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 12       | निम्बी जोधां वार्ड नं. 12 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 13       | निम्बी जोधां वार्ड नं. 13 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 14       | निम्बी जोधां वार्ड नं. 14 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 15       | निम्बी जोधां वार्ड नं. 15 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 16       | निम्बी जोधां वार्ड नं. 16 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 17       | निम्बी जोधां वार्ड नं. 17 | 106    | 98      | 337       | 299     |
| 18       | चन्द्राई                  | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 19       | मालगांव                   | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 20       | सिकराली                   | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 21       | गेनाणा                    | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 22       | बल्दू                     | 33     | 25      | ---       | ---     |
| 23       | खोखरी                     | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 24       | गुणपालिया                 | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 25       | शिमला                     | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 26       | रताऊ                      | 47     | 29      | 98        | 69      |
| 27       | सिलनवाद                   | 59     | 47      | ---       | ---     |
| 28       | खंगार                     | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 29       | खामियाद                   | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 30       | नंदवाण                    | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 31       | तितरी                     | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 32       | सींवा                     | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 33       | धुडिला                    | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 34       | भरनावां                   | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 35       | हुडास                     | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 36       | झरडिया                    | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 37       | टोकी                      | 29     | 20      | ---       | ---     |
| 38       | ढिंगसरी                   | 29     | 20      | ---       | ---     |

|    |          |    |    |     |     |
|----|----------|----|----|-----|-----|
| 39 | रोजा     | 29 | 20 | --- | --- |
| 40 | साण्डास  | 29 | 20 | --- | --- |
| 41 | तिपनी    | 29 | 20 | --- | --- |
| 42 | ओडिंट    | 29 | 20 | --- | --- |
| 43 | चुण्डासर | 29 | 20 | --- | --- |
| 44 | मणू      | 29 | 20 | --- | --- |
| 45 | हिरावती  | 29 | 20 | --- | --- |
| 46 | लुकास    | 29 | 20 | --- | --- |

**नोट :-**

1. प्रथम श्रेणी से तात्पर्य उन भूमियों से है जो सडक सीमा से 200 फीट की दूरी पर स्थित है तथा द्वितीय श्रेणी की भूमियां सडक सीमा से 200 फीट से अधिक की दूरी पर स्थित है।
2. जो भूमियां राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और मेगा हाईवे पर स्थित है, उनमें प्रचलित दर से 80% अधिक की दरें देय होगी।  
राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और मेगा हाईवे पर स्थित भूमियों पर उपरोक्त के अलावा 80% और प्रभारित किया जायेगा।
3. संस्थागत प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें आवासीय भूमि की दर का डेढ़ गुणा देय होगी। संस्थागत प्रयोजनों में विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल इत्यादि सम्मिलित होंगे।

अनुमोदित

Sd- 4/10/12

जिला पंजीयक/कलेक्टर

sd-

उप-पंजीयक, लाडनूं